उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4
संख्या-05/123 /2023/52-4-2023-बजट(14)/2017
लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2023

<u>शुद्धि-पत्र</u>

हज-2022 में खादिमुल हुज्जाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति, उ0प्र0 राज्य हज समिति के कर्मचारियों की ई0पी0एफ0ओ0 को भुगतान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-4/122/52-4-2023 बजट(14)/2017 दिनांक 28.03.2023 के प्रस्तर-03 की पंक्ति संख्या-02 एवं 03 में टंकण त्रुटिवश ''प्राविधानित धनराशि रू0 86662.72 लाख'' अंकित हो गया है, जबकि वास्तविक प्राविधानित धनराशि रू0-94462.36 लाख है अतः उक्त शासनादेश संख्या-4/122/52-4-2023 बजट(14)/ 2017 दिनांक 28.03.2023 के प्रस्तर 3 के पंक्ति सं0-2 एंव 3 में त्रुटिवश उल्लिखित ''प्राविधानित धनराशि रू0 86662.72 लाख'' स्थान पर ''प्राविधानित धनराशि रू 94462.36 लाख'' पढ़ा जायें।उक्त शासनादेश संख्या-4/122/52-4-2023 बजट (14)/2017 दिनांक 28.03.2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जायें, शेष निर्देश/शर्तें यथावत रहेगी।

शकील अहमद सिद्दीकी
उप सचिव ।

<u>संख्या-05/123(1)/52-4-2023 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम /द्वितीय उत्तर प्रदेश ,इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी, कैसरबाग, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- वित्त (ई-4)अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/ नियोजन अनुभाग-3 गार्ड फाइल।
7- अनुभाग अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8- सचिव/कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य हज समिति लखनऊ।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/